

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग

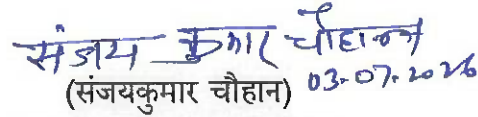
क्रमांक: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422/2026/

दिनांक: 03.07.2026

विषय - राराप्रप्रौके इंदौर के परिसर में घास के मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ीक्षेत्र छोड़कर उर्वरित खाली तकनीकी क्षेत्र/
Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास काटने तथा निपटान का कार्य - नीलामी
सूचना का वेबसाइट पर प्रदर्शन ।

नीलामी विज्ञप्ति संख्या: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422/2026/02 **दिनांक :** 03.07.2026

विस्तृत नीलामी सूचना प्रदर्शन हेतु वेबसाइट www.rrcat.gov.in पर उपलब्ध है।


(संजयकुमार चौहान) 03-07-2026

प्रभारी अभियंता (सिविल-2)

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग, इंदौर

सं.: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422/2026/02

दिनांक :03.07.2026

मुहरबंद दर सूची आमन्त्रण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राराप्रप्रौके इंदौर के परिसर में घास के मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित खाली तकनीकी क्षेत्र/ Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास काटने तथा निपटान का कार्य संपादन करने हेतु दिनांक 20.07.2026 को दोपहर 3.00 बजे तक मुहरबंद निविदाएं, वेतन एवं लेखा अधिकारी, राराप्रप्रौके इंदौर के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदाएं उसी दिन दोपहर 3.30 बजे खोली जाएंगी।

नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. ठेकेदार को मुहरबंद निविदा जमा करते समय धरोहर राशि के रूप में मात्र रूपए 40000/- (रूपए चालीस हजार मात्र) वेतन एवं लेखा अधिकारी, राराप्रप्रौके के नाम से डीडी/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में जमा कराने होंगे।
2. कार्य पूरा करने की अवधि 10(दस) माह (वर्षा ऋतु सहित) होगी। ठेकेदार को निविदा भरने से पूर्व निविदा से संबंधित शर्तें (अनुलग्नक 'अ' एवं अनुलग्नक 'ब') पर विचार करके दरें भरनी होगी।
3. घास कटाई व ढुलाई के लिए में घास के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 214 (दो सौ चौदह) हेक्टेयर है।
4. अधिकतम दर भरने वाले के नाम पर कार्यदिश जारी किया जाएगा तथा अधिकतम दर भरने वाले सफल ठेकेदार को निविदा दर की पूरी राशि निविदा स्वीकृति के पाँच दिनों के भीतर (कार्यालयीन समय में) डीडी/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में जमा करानी होगी। सफल ठेकेदार द्वारा यह राशि जमा न करने की स्थिति में उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी एवं उसके द्वारा जमा धरोहर राशि रुपये 40000/- (रूपए चालीस हजार मात्र) जब्त की जाएगी।
5. कार्यक्षेत्र के निरीक्षण हेतु मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके से निविदा भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 16:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
6. निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज़ राराप्रप्रौके, वेबसाइट www.rrcat.gov.in से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
7. मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके के पास भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी मुहरबंद निविदा को स्वीकार करे या किसी अथवा समस्त बोलियों को रद्द कर दे।

भारत सरकार
03.07.26

मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके
भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग

Schedule-A /अनुसूची-अ

विषय: राराप्रप्रौके इंदौर के परिसर में घास के मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित खाली तकनीकी क्षेत्र/
Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास निपटान का कार्य (नीलामी) ।
संदर्भ: नीलामी विज्ञप्ति संख्या: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422 /2026/02 दिनांक: 03.07.2026

विषय: राराप्रप्रौके इंदौर के परिसर में घास के मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित खाली तकनीकी क्षेत्र/Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास निपटान का कार्य (नीलामी) जिसका प्रस्तावित क्षेत्र 214 हेक्टेयर है। नोट- 1.कार्य के लिए कुशल मजदूर, मशीन, संरक्षा का सामान लाने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी। 2.घास काटने, परिवहन करने, परिवहन परमिट सरकारी /अन्य सरकारी करों का भुगतान एवं कचरे का व्यवस्थित तरीके से निष्पादन की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। 3.कार्य की अवधि दस माह (वर्षा ऋतु सहित) रहेगी। 4.बोलीदार को बोली लगाने से पूर्व नीलामी की शर्तें (अनुलग्नक - 'अ') के अनुरूप मदों पर विचार करके बोली लगानी होगी।	घास का रेट प्रस्तावित 214 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए	
	अंको में (रुपये)	शब्दों में (रुपये)

(हस्ताक्षर मुद्रांक ठेकेदार)

नाम :-

पता :-

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग

Schedule-B /अनुसूची-ब

विषय: विषय: राराप्रप्रौके इंदौर के परिसर में घास के मैदान मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित खाली तकनीकी क्षेत्र/Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास निपटान का कार्य (नीलामी)।

संदर्भ: नीलामी विज्ञप्ति संख्या: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422 /2026/02 दिनांक: 03.07.2026

मद क्र.	विवरण	ठेकेदार को सामग्री देने की दर	आपूर्ति का स्थान
1.	शून्य	शून्य	शून्य

03.07.26

(भरत कुमार रावलानी)
मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग
नीलामी की शर्तें (अनुलग्नक-‘अ’)

विषय: राराप्रप्रौके, इंदौर के परिसर में घास के मैदान (सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित/ Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area) से घास निपटान का कार्य (नीलामी)।

संदर्भ: नीलामी विज्ञप्ति संख्या: राराप्रप्रौके/निसेप्र/उद्यान/W-4422 /2026/02 दिनांक: 03.07.2026

1. स्थान : जिस क्षेत्र से घास हटाई जानी है उसका अनुमानित क्षेत्रफल 214 हेक्टेयर है । इसमें राराप्रप्रौके, इंदौर परिसर के उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर का सिंदोड़ा पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर उर्वरित/ Un occupied Technical area excluding Sindoda Hillock area घास का मैदान शामिल है।
2. अवधि : ठेकेदार को उपरोक्त घास की कटाई और हटाने का काम अनुबंध किए जाने के 10 महीने के भीतर पूरा करना होगा जिसमें वर्षा का मौसम भी शामिल है।
3. राराप्रप्रौके के परिमापक रोड का लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र विभाग द्वारा अलग से साफ कराया जाएगा, इसलिए मुहरबंद दर सूची भरते समय बोलीदार इस क्षेत्र में उगी घास की मात्रा को शामिल न करे तथा इस कारण प्राप्त न होने वाली आय को ध्यान में रखे ।
4. ठेकेदार को घास को शीघ्रता से काटने व हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजदूरों को कार्य पर लगाना होगा तथा घास की ढुलाई और हटाने की भी समुचित व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी ।
5. ठेकेदार सिद्धांत रूप में घास की कटाई और उसे ले जाने का काम साथ-साथ ही करेंगे किन्तु कभी-कभी मौसमी कारणों से, मजदूरों की उपलब्धता न होने की स्थिति में, ठेकेदार कटी हुई घास को एकत्र कर **सिमित समय के लिए** उसका ढेर लगा सकेगा । इस हाल में ठेकेदार को ऐसे ढेरों में आग लगने से बचाने के सभी उपाय स्वयं करने होंगे जिससे कि स्वयं उसे या सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके । घास के ढेरों को किसी भी दशा में भवनों या अन्य निर्माणों के पास लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
6. ठेकेदार को किसी भी दशा में राराप्रप्रौके परिसर में घास के ढेर रखने की अनुमति नहीं होगी । इस प्रकार ठेकेदार की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सूखी घास के ढेरों को निर्धारित समय में हटाए । ऐसा न करने पर विभाग को यह खुली छूट होगी कि वह न हटाई गई घास को किसी और ठेकेदार के जरिए हटवा दे या उसे हटाने की कार्रवाई करे । ठेकेदार इस कार्रवाई से होने वाले किसी भी नुकसान या भरपाई की मांग विभाग से नहीं कर सकेंगे तथा उपरोक्त कार्य ठेकेदार की जिम्मेदारी और व्यय पर विभाग द्वारा किया जाएगा ।
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अनुसार और प्रमुख नियोक्ता, राराप्रप्रौके, इन्दौर द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ठेकेदार को चाहिए कि वे श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दर से मजदूरी का भुगतान करें । मजदूरों की संख्या 20 से उपर होने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा **लेबर लाइसेंस प्राप्त करना** होगा। ठेकेदार का यह दायित्व रहेगा कि वे साइट पर किसी दुर्घटना होने पर कल्याण/बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के हित में उनका बचाव करें ।

8. ठेकेदार अपना काम नियमों और शर्तों के अनुसार करेंगे जिसके न करने पर विभाग ऐसी सभी कार्रवाई ठेकेदार की जोखिम पर पूरा कराने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्रवाई में उनकी जमा राशि की जब्ती तथा तत्काल प्रभाव से करार की समाप्ति संबंधी कार्रवाई भी शामिल होगी। ऐसी हालत में ठेकेदार को किसी भी अन्य प्रकार के हर्जाने की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्य के दौरान, ठेकेदार ऐसे सभी उपाय करेंगे जिससे कि परिसर में पेड़-पौधों की रक्षा हो और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो जिसमें घास ले जाने के लिए लाए जाने वाले **वाहन द्वारा** भी पेड़-पौधों की सुरक्षा शामिल है। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार से पेड़-पौधों को किसी भी प्रकार हुए नुकसान की वसूली, शर्तों के अधीन की जाएगी।
10. कुछ खास क्षेत्रों में यदि नियंत्रित रूप से आग लगाने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को इस कार्य में स्वयं पूरा सहयोग देना होगा। विभाग घास को आग लगने की स्थिति में घास या अन्य नैसर्गिक क्षति को रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार को विभाग से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होगा।
11. पूर्वानुमान के आधार पर ऐसा देखने में आया है कि खाली तकनीकी क्षेत्र में (unoccupied technical area) पेरीमीटर वाल से संलग्न इलाकों से खेतों के सूखे फसल अवशेष तथा कचरा जलाने पर आग प्रप्रोके परिधि में प्रवेश करती है। उक्त स्थिति में प्रप्रोके क्षेत्र में आग फैल जाती है। इसके समाधान हेतु पेरीमीटर वाल से सटे हुए इलाके में (10 मी. तक) विभाग द्वारा उनकी व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित रूप में आग लगाई जाएगी व इस परिधि से सटा हुआ इलाका आग न फैलने हेतु सुरक्षित किया जाएगा। इस हेतु इलाके में उगने वाली घास कटवाने हेतु अग्रिम कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी। नियंत्रित आग हेतु ठेकेदार की सहमति होगी व इस कार्य को सुचारू रूप से करवाने हेतु बाध्य होगा। ठेके की अवधि के दौरान, ठेकेदार, विभाग द्वारा संरक्षा एवं अग्निशमन की दृष्टि से समय-समय पर निर्धारित किए गए संवेदनशील क्षेत्रों से अतिरिक्त घास को हटाने तथा जलाने के कार्य में सभी संभव सहायता करेंगे। अतः यह ठेकेदार के हित में होगा कि वे ठेके में यथा-दर्शाई गई निर्धारित समयावधि के अंदर ही उक्त क्षेत्र से घास कटवाने और वहां से घास हटवाने की तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करें। उक्त कार्य को करने में विलंब होने पर विभाग को ठेकेदार को और आगे कोई सूचना दिए गए या परामर्श किए बगैर ही अग्निशमन अनुभाग के परामर्श से नियंत्रित आग द्वारा उक्त क्षेत्र की घास को जलवाने की स्वतंत्रता होगी और ऐसी हालत में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार को दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. घास को बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को **केवल** ट्रैक्टर ट्रॉली या **मेटाडोर या ट्रक का** प्रयोग करने की अनुमति होगी। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी मजदूर को गाड़ी पर ऐसी जगह बैठने की अनुमति नहीं होगी, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो। यदि परिवहन करते समय सड़क पर घास गिरती है तो सफाई करवानी पड़ेगी।
13. **साराप्रप्रोके इंदौर के परिसर से घास का परिवहन वाहन द्वारा करते समय वाहन पर लदे हुए घास को कृषि वाली हरी जाली या टार्पोलिन शीट से ढककर ले जाना होगा।**
14. ठेकेदार को इस घास को हटाने के कार्य के दौरान इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए कार्य करना होगा।

15. कार्य के दौरान किसी सरकारी सम्पत्ति के नुकसान होने पर ठेकेदार को भरपाई करनी होगी। न करने की स्थिति में कार्य को बंद किया जा सकेगा और यह भरपाई उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि/अग्रिम राशी से समायोजित की जाएगी।
16. विभाग से आवश्यक स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के बाद सात (7) दिनों के भीतर (काम शुरू करने से पहले) ठेकेदार को खरीद के मूल्य की 100 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
17. ठेकेदार को इस कार्य के लिये राराप्रप्रौके के साथ एक अनुबंध करना होगा जिसमें एक पक्ष में भारत के राष्ट्रपति की ओर से उनके स्थान पर मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके तथा दूसरी ओर अनुबंधकर्ता होगा।
18. विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करने के 8 दिनों के भीतर ठेकेदार को अनिवार्यतः उपरोक्त कार्य शुरू करना होगा। काम शुरू न करने की स्थिति में विभाग को ठेकेदार को कार्यवंचित करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि तथा कुल क्रय मूल्य की 100 प्रतिशत राशि, जो जमा कराई गई है, विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
19. बोली लगाने से पूर्व बोलीदार यह सुनिश्चित कर ले कि उनके खिलाफ किसी प्रकरण में पुलिस जांच लंबित नहीं है, क्योंकि सफल बोलीदाता को कार्य मिलने की स्थिति में कार्य हेतु स्वयं, सुपरवाइजर तथा मजदूरों का पुलिस सत्यापन (PVC) करना होगा ताकि उनका रेडियो आवृत्ति परिचय-पत्र जारी हो सके। ठेकेदार को उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य करने/प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
20. घास काटने हेतु ठेकेदार मशीनों का प्रयोग कर सकता है मगर मशीनों को कार्य समाप्ति पर दैनन्दिन रूप से रा.रा प्र.प्रौ.के. (केम्पस) में रखने की अनुमति नहीं होगी। मशीनों का आवागमन दैनन्दिन स्वरूप में ठेकेदार को करना होगा व मशीन की सुरक्षा हेतु विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
21. घास की निकासी विभाग द्वारा प्रमाणित ई-गेटपास द्वारा की जाएगी जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार जारी किया जा सकेगा।

भरत कुमार रावलानी
03-07-26

(भरत कुमार रावलानी)
मुख्य अभियंता, राराप्रप्रौके